

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या : 25/पं०स०भ०-09-39/2023/129/.../पं०रा० पटना दिनांक 08/2/24

विषय : राज्य के 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082 + सामान्य क्षेत्रों की 1083) ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्तावना : राज्य के सभी 8053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की राज्य सरकार की योजना है। पंचायत के क्रियाकलापों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार कार्यालय भवन का होना आवश्यक है। इसके लिए पंचायत सरकार भवन का डिजाइन पूर्व से अनुमोदित है। भवन में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत/स्थायी समितियों की बैठकों के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खण्ड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है।

2. पंचायत सरकार भवन का उपयोग बहुउद्देशीय होगा। इसको उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ एवं आपदाओं में भी उपयोग किया जा सकेगा। पंचायत सरकार भवन दो-मंजिला है। सामान्य क्षेत्र का क्षेत्रफल 7202 Sqft एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का क्षेत्रफल 9528 Sqft है। इससे पंचायतों को अपने कार्य संचालन में जन-सामान्य के प्रति उत्तरदायी बनने और कार्यकलापों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। यह सुशासन की संकल्पना के एकीकृत केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा।

3. राज्य के सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना है। पूर्व में राज्य की कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से अब तक 4236 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में 2165 (दो हजार एक सौ पैंसठ) पंचायत सरकार

भवन बनाने का प्रस्ताव है। प्रति पंचायत सरकार भवन सामान्य क्षेत्रों की प्राक्कलित राशि ₹2,50,23,129.00 (दो करोड़ पचास लाख तैईस हजार एक सौ उनतीस रुपये) हैं तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का प्रति पंचायत सरकार भवन ₹3,05,00,000.00 (तीन करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082 भवनों पर कुल— $1082 \times ₹3,05,00,000.00 = ₹ 3300,10,00,000.00$ (तीन हजार तीन सौ करोड़ दस लाख रुपये) मात्र एवं सामान्य क्षेत्रों का 1083 भवनों पर कुल— $1083 \times ₹2,50,23,129.00 = ₹2710,00,48,707.00$ (दो हजार सात सौ दस करोड़ अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र, इस प्रकार कुल— ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि व्यय होगी।

4. भूमि का चयन : विभागीय पत्रांक 10956 दिनांक 12.10.2023 द्वारा पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चयन हेतु समेकित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके आधार पर जिला पदाधिकारियों द्वारा 2165 (दो हजार एक सौ पैसठ) पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए भूमि चयनित की गयी है, जिसकी विवरणी अनुलग्नक-1 में संलग्न है। इन्हीं चयनित पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी :-

(i) राज्य में शेष बचे पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए क्रियान्वयन एजेन्सी का चयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।

निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी के कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुसार योजना के चयन सूची भूमि की विवरणी के साथ चयनित विभाग/एजेन्सी को उपलब्ध कराई जायेगी।

(ii) षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद की राशि पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु चयनित विभाग/एजेन्सी को उपलब्ध कराई जायेगी। योजना की राशि संबंधित कार्यपालक

अभियन्ता द्वारा पी0डी0/पी0एल0 एकाउन्ट में रखी जायेगी। प्राक्कलन की स्टेजवार भौतिक प्रगति होने पर मापी का प्रावधान होगा। मापी पुस्त में अंकित स्टेजवार किये गये कार्य के आधार पर ही अग्रेतर भुगतान होगा। मापी के स्टेज निम्नवत् होंगे:-

- a) मुख्य भवन के प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- b) मुख्य भवन के प्रथम तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- c) मुख्य भवन के द्वितीय तल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- d) मुख्य भवन के फिनिशिंग कार्य (इलेक्ट्रिकफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।
- e) Living Block (फिनिशिंग/इलेक्ट्रिकफिकेशन सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।
- f) Block, PHE एवं अन्य सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त (फिनिशिंग/इलेक्ट्रिकफिकेशन सहित)
- g) प्रत्येक माह योजना का प्रगति प्रतिवेदन पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर ऑनलाईन विहित प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियन्ता द्वारा अपलोड किया जायेगा एवं इसके आधार पर ही पंचायती राज विभाग द्वारा इसका अनुश्रवण एवं राशि की विमुक्ति की जायेगी।

इस योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण हेतु विभाग द्वारा अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश संसूचित किया जायेगा।

6. बजट शीर्ष :

इस योजना हेतु बजट की उपलब्धता अगले दो वित्तीय वर्षों में निम्नांकित बजट शीर्षों से की जायेगी :

षष्ठम राज्य वित्त आयोग :-

- (i) मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्यशीर्ष-00- लघुशीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0007-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान। विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16-2515001960007 है।
- (ii) 'मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्यशीर्ष-00- लघुशीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों का अंशदान। विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16-2515001970004 है।
- (iii) 'मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम- उपमुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान। विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण। विपत्र कोड 16-2515001980009 है।

राज्य योजना मद :-

- (iv) मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-पंचायती राज विभाग उप शीर्ष-0108-पंचायत सरकार भवनों का निर्माण (पंचायती राज विभाग)। विषय शीर्ष 5301-मुख्य निर्माण इकाई। विपत्र कोड 16-4515001010108 है।
- (v) षष्ठम राज्य वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹811.37 करोड़, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹939.20 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1164.30 करोड़ वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹1200.00 करोड़ रुपये बजटीय उपबंध होनी है। राज्य योजना मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹1000.00 करोड़ एवं 2024-25 में

₹1000.00 करोड़ की राशि बजटीय उपबंध होनी है। राज्य वित्त आयोग से राशि की अनुशंसा प्राप्त होते ही अलग से उसकी स्वीकृत्यादेश जिलावार लक्ष्यानुसार निर्गत किया जायेगा।

9. उक्त के आलोक में राज्य के 2165 (बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 1082 + सामान्य क्षेत्रों की 1083) ग्राम पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹6010,10,48,707.00 (छह हजार दस करोड़ दस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सात रुपये) मात्र की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्ताव पर दिनांक 06.02.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-04 में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०-09-39/2023/.12.9/...../ पटना, दिनांक 8/2/24
प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०-09-39/2023/.12.9/...../ पटना, दिनांक 8/2/24
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।
उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०-09-39/2023/...../ पटना, दिनांक
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार/सभी
विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला
पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय
उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी
प्राचार्य जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/सभी प्राचार्य मुखिया सरपंच
प्रशिक्षण संस्थान/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम/सभी
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/सभी कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत
समिति तथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को बिहार को सूचना एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

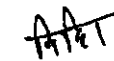
ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०-09-39/2023/12.9.1...../ पटना, दिनांक 8/2/24
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास
विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग
को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

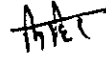
ज्ञापांक : 2प/पं०स०भ०-09-39/2023/12.9.1...../ पटना, दिनांक 8/2/24
प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 2प/पंसंभ०-09-39/2023/1229/...../ पटना, दिनांक 8/2/24
प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना
को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव